# न्यायालय सहायक कलक्टर, (SDO) बाड़मेर

नाम पीठासीन अधिकारी :— श्री नीरज मिश्र आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :— 147 / 2019

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1 गिरधारीराम पुत्र वागाराम निवासी दलानाडा भाडखा 2 किशनाराम 3 अचलाराम 4 तारों 5 गोमी पिसरान वागाराम जाति जाट निवासी खारिया तला (भाडखा) तहसील व जिला बाडमेर। | बनाम | 1 वागाराम 2 तेजाराम 3 भलाराम 4 रूगाराम पिसरान ज्वाराराम 5 हनुमानराम 6 रामलाल 7 खेराजराम पिसरान खेमाराम 8 नेनुदेवी पत्नी खेमाराम 9 तेजाराम 10 हेमाराम 11 वानाराम 12 दलाराम 13 गोरखाराम पिसरान जैसाराम 14 पूनीदेवी पत्नी जैसाराम 15 चेनाराम पुत्र भीखाराम 16 चन्दूदेवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी खारिया तला (भाडखा) तहसील व जिला बाडमेर 17 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा जिला बाडमेर। |

**राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 RTA Act.**

उपस्थिति :— 1. श्री भोमाराम सियाग वकील वादीगण।
2. श्री मेघाराम चौधरी प्रतिवादीगण।

## निर्णय

दिनांक 4.10.19

संक्षिप्त में वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद कथन इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 16 स्वर्गीय ज्वाराराम के वंशज है तथा हिन्दु होने से हिन्दु विधि से शासित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 वागाराम के पुत्र होने से विधिक वारिस है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 16 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 134 / 100 रकबा 82.10 बीघा भूमि व मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 513 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 801 / 507 रकबा 16.17 बीघा, खसरा संख्या 803 / 510 रकबा 45.10 बीघा तथा खसरा संख्या 807 / 514 रकबा 33.12 बीघा कुल रकबा 97.01 बीघा भूमि आई हुई है जिस पर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 से 16 का कब्जा काश्त है। मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 134 / 100 रकबा 82.10 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1 / 96–1 / 96 हिस्सा निहित है तथा मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 513 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 801 / 507 रकबा 16.17 बीघा, खसरा संख्या 803 / 510 रकबा 45.10 बीघा तथा खसरा संख्या 807 / 514 रकबा 33.12 बीघा कुल रकबा 97.01 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1 / 24–1 / 24 हिस्सा निहित है। वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 वागाराम के विधिक वारिस है। वादीगण का वादग्रस्त भूमि में जन्म से ही हित निहित हो गया है। अतः मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर



Scanned by CamScanner

व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 134/100 रकबा 82.10 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/96–1/96 हिस्सा निहित होने से तथा मौजा खारिया तला पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 513 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 801/507 रकबा 16.17 बीघा, खसरा संख्या 803/510 रकबा 45.10 बीघा तथा खसरा संख्या 807/514 रकबा 33.12 बीघा कुल रकबा 97.01 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा निहित होने से खातेदारी का घोषित करवाने के अधिकारी है। पत्रावली के अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि प्रतिवादी संख्या 01 वागाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा के पक्ष में रहन है।

प्रतिवादी संख्या 01 की और से वाद कथन को स्वीकार करते हुए ईकबाली जवाब एवं राजीनामा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है। उक्त पैतृक भूमि में वाद में अंकित हिस्सा अनुसार वादीगण का हिस्सा है, जिसे घोषित किया जाता है तो उसे कोई आपति नही है।

वादी संख्या 01 गिरधारीराम द्वारा साक्ष्य स्वरूप शपथ पत्र प्रस्तुत कर वाद पत्र एवं राजीनामा में अंकित तथ्यों की पुष्टी की, जिसे सामिल मिसल किया गया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि है। पैतृक भूमि में वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है। लिहाजा वादीगण को प्रतिवादी संख्या 01 वागाराम के साथ सहखातेदार घोषित करते हुए उपर्युक्तानुसार वादीगण का हिस्सा घोषित किया जावे। वकील प्रतिवादी संख्या 01 द्वारा बहस के दौरान अवगत करवाया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक है तथा वादीगण, प्रतिवादी संख्या 01 वागाराम के जायन्दा पुत्र होने के नाते वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 01 वागाराम के साथ वादीगण का जन्म से हिस्सा निहित है, जिसे घोषित करवाने के वादीगण अधिकारी है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न जामबन्दी सम्वत् 2072 से 2075, सम्वत् 2073 से 2076 एवं नामान्तकरण संख्या 135 का भी अवलोकन किया गया। का भी अवलोकन किया गया। उक्त दस्तावेजात के आधार पर वादग्रस्त भूमि पैतृक होना प्रमाणित है तथा पैतृक भूमि में वादीगण का हिस्सा जन्म से निहित है। माफिक राजीनामा वादीगण अपना हिस्सा घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा

सहायक कलक्टर
(SDO) बाड़मेर



Scanned by CamScanner

संख्या 134/100 रकबा 82.10 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/96–1/96 हिस्सा तथा मौजा खारिया तला पटवार क्षेत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 513 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 801/507 रकबा 16.17 बीघा, खसरा संख्या 803/510 रकबा 45.10 बीघा तथा खसरा संख्या 807/514 रकबा 33.12 बीघा कुल रकबा 97.01 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 वागाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे। डिकरी पर्चा मुर्तिब हो। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

निर्णय आज दिनांक 4.10.19 को सरें इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
एवं पदेन सहायक कलक्टर
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बाड़मेर

पीठासन अधिकारी श्री नीरज मिश्र (आर.ए.एस.) अन्तिम डिक्री

अनवान

| वादीगण | | प्रतिवादीगण |
|---|---|---|
| 1 गिरधारीराम पुत्र वागाराम निवासी दलानाडा भाडखा 2 किशनाराम 3 अचलाराम 4 तारों 5 गोमी पिसरान वागाराम जाति जाट निवासी खारिया तला (भाडखा) तहसील व जिला बाडमेर। | बनाम | 1 वागाराम 2 तेजाराम 3 भलाराम 4 रूगाराम पिसरान ज्वाराराम 5 हनुमानराम 6 रामलाल 7 खेराजराम पिसरान खेमाराम 8 नेनुदेवी पत्नी खेमाराम 9 तेजाराम 10 हेमाराम 11 वानाराम 12 दलाराम 13 गोरखाराम पिसरान जैसाराम 14 पूनीदेवी पत्नी जैसाराम 15 चेनाराम पुत्र भीखाराम 16 चन्दूदेवी पत्नी भीखाराम जाति जाट निवासी खारिया तला (भाडखा) तहसील व जिला बाडमेर 17 शाखा प्रबन्धक राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा जिला बाडमेर। |

दावा बाबत् 88 रा.का.अ.
मुकदमा नम्बर :– 147/2019
निर्णय दिनांक :– 4-10-19

वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख ........................ को श्री नीरज मिश्र, सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बाडमेर के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अन्तिम डिकरी निम्नप्रकार दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद माफिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर मौजा नारणोणियों की ढाणी पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 134/100 रकबा 82.10 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/96–1/96 हिस्सा तथा मौजा खारिया तला पटवार क्षैत्र भाड़खा तहसील व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 513 रकबा 01.02 बीघा, खसरा संख्या 801/507 रकबा 16.17 बीघा, खसरा संख्या 803/510 रकबा 45.10 बीघा तथा खसरा संख्या 807/514 रकबा 33.12 बीघा कुल रकबा 97.01 बीघा भूमि में वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 01 प्रत्येक का 1/24–1/24 हिस्सा खातेदारी का घोषित किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 01 वागाराम का हिस्सा राजस्थान मरूधरा ग्रामीण बैंक शाखा भाड़खा में रहन है। **अतः तहसीलदार बाडमेर निर्णय की पालना रहन मुक्ति के पश्चात करें।** खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

यह आज तारीख 4-10-19 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) बाड़मेर

(नीरज मिश्र)
पीठासन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
सहायक कलक्टर, बाडमेर

## वाद के खर्चे

| वादी | रूपया | प्रतिवादी | रूपया |
|---|---|---|---|
| 1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प | | | |
| 2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | |
| 3 प्रदर्शो के लिए स्टाम्प | | अर्जी के लिए स्टाम्सप | |
| 4 .......... रूपये पर प्लीडर की फीस | | प्लीडर की फीस | |
| 5 साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय | | साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय | |
| 6 कमिश्नर की फीस | | आदेशिका की तामील | |
| 7 आदेशिका की तामिल | | कमिश्नर की फीस | |
| जोड़ | | जोड़ | |

Scanned by CamScanner